संख्या-56/2017/2370/52-1-2017-21(एम०एस०डी०पी०)/17 टी०सी०-।।

प्रेषक,

डा०पिंकी जोवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 14 दिसम्बर, 2017

विषय - मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद-सम्भल के ब्लाक-सम्भल एवं ब्लाक-असमोली में पेयजल आपूर्ति योजना हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(39)/2013-पी०पी०, दिनांक 30.03.2017 द्वारा उक्त पेयजल योजना हेतु कुल लागत रू० 569.63 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू० 569.63 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू० 1,70,89,000/- (रू० एक करोड़ सत्तर लाख नवासी हजार मात्र) एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू० 1,13,93,000/-(रू० एक करोड़ तेरह लाख तिरानबे हजार मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू० 2,84,82,000/- (रू० दो करोड़ चौरासी लाख बयासी हजार मात्र) वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित बजट रू० 1000.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्त प्रथम किश्त		कुल अवमुक्त धनराशि (के0+रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सम्भल	ब्लाक-सम्भल में पेयजल आपूर्ति योजना	01	249.19	149.51	99.68	249.19	74.76	49.84	124.60
	,,	ब्लाक-असमोली में पेयजल आपूर्ति योजना	01	320.44	192.26	128.18	320.44	96.13	64.09	160.22
		योग	02	569.63	341.77	227.86	569.63	170.89	113.93	284.82

http://shasanadesh.up.nic.in

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति यदि आवश्यक हो, प्राप्त करके ही किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि का उपभोग 06 माह में कर लिया जाय। धनराशि का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। इससे विचलन की दशा में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा पेयजल आपूर्ति योजना को करने वाली कार्यदायी संस्था/ योजना से सम्बन्धित मूल विभाग के अधिकारी उत्तरदायी होंगे। व्यय से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत धनराशि इसके पूर्व स्वीकृत नहीं की गयी है।

3- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यमदों पर- ही किया जायेगा इस सम्बन्ध में सम्पादित त्रिपक्षीय एम०ओ०यू० (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा ।

4- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

5- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

6- जिलाधिकारी द्वारा व्यय की गयी धनराशि का हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की दो-02 प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेंगी।

7- इस योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का 01 पृथक लेखा अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा मेन्टेन किया जायेगा।

9- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । आहरण एवं वितरण आधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय ।

10- निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यवाही संस्थाओं को उपलब्ध

http://shasanadesh.up.nic.in

करायी जाय । कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

11- पेयजल योजना से सम्बन्धित स्थलों पर कार्यदायी संस्था द्वारा एक बोर्ड भी स्थापित किया जायेगा जिस पर योजना की लागत, बजट का स्रोत, योजना के स्वीकृत होने की तिथि, भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि तथा कार्यदायी संस्था का नाम अंकित जायेगा।

12- उपरोक्त कार्य के बारे में प्रथम किश्त की धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

13- प्रश्नगत निर्माण कार्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

14- आहरित कर पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी ।

15- प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जायेगा जिस मद/कार्य के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

16- शासनादेश दिनांक 03 अगस्त 2017 एवं 26-8-2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

17- लेबरसेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

18- भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.03.2017 एवं 31.03.2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

19- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक "4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0117-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति योजना (के0 50/रा0 50-के०+रा०)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

20- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-840/दस-2017, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(डा०पिंकी जोवल)
विशेष सचिव।

handpump

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2370(1)/बावन-1-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद- सम्भल में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लि० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त धनराशि से जनपद-सम्भल के ब्लाक-सम्भल एवं ब्लाक-असमोली में पेयजल आपूर्ति योजना को निर्धारित समय में पूर्ण कराने का कष्ट करें।
7- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद-सम्भल ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10- वित्त-ई-11 को एक प्रति तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in